

बारेला जनजाति में आर्थिक एवं शैक्षणिक परिवर्तन

मनीषा सावले

पी एच. डी. शोधार्थी (समाज कार्य)

शासकीय माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, म.प्र.

सारांश :- प्रस्तुत शोध अध्ययन में बारेला जनजाति के आर्थिक एवं शैक्षणिक जीवन पर परिवर्तनों के प्रभाव से सम्बन्धित है। जिसके लिए मध्यप्रदेश के जिला खरगोन में बारेला जनजाति में आर्थिक एवं शैक्षणिक परिवर्तन का अध्ययन हेतु शोध अध्ययन के लिए चयनित किया गया। खरगोन जिले के भगवानपुरा विकासखण्ड के पाँच गांवों में ढाबला, रसगांगली, भुलवानिया, काबरी और गडी का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति द्वारा किया गया। चयनित गांव में प्रत्येक गांव से 60-60 परिवारों का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति द्वारा किया गया। इस प्रकार कुल न्यादर्श का आकार 300 परिवारों को अध्ययन के लिए चयनित किया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 60.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि वे अपने वर्तमान व्यवसाय से संतुष्ट हैं जबकि 39.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि वे वर्तमान व्यवसाय से संतुष्ट नहीं हैं। कुल उत्तरदाताओं में से 44.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि वे अपनी आय से बचत करते हैं जबकि 55.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि वे अपनी आय से बचत नहीं करते हैं। कुल उत्तरदाताओं में से 84 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्होंने बच्चों के शैक्षणिक विकास हेतु चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लिया है जबकि 16 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्होंने बच्चों के शैक्षणिक विकास हेतु चलाई जा रही योजनाओं का लाभ नहीं लिया है।

कुंजी शब्द :- आर्थिक परिवर्तन, शैक्षणिक परिवर्तन, पलायन, शैक्षणिक स्थिति, शासकीय योजना

प्रस्तावना :- किसी क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करने से हमें वहां के विकास का पता लग जाता है। जिस क्षेत्र का सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक पिछड़ापन पाया जाता है। वह क्षेत्र विकास के स्तर पर भी पिछड़ा होता है। बारेला जनजाति अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति जिसके परिणामस्वरूप इनकी सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक पृष्ठभूमि भिन्न ही प्रतीत होती है।

बारेला जनजाति का आर्थिक विकास उसके सामाजिक पक्ष पर निर्भर करता है। अनसुचित जनजनतियों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए समय-समय नीतियों एवं विकास के कार्यों द्वारा दूर करने का प्रयास किया गया परन्तु अध्ययन क्षेत्र के शोध अवलोकन में पाया गया कि बारेला जनजाति लोगों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति बहुत ही कमजोर है।

बारेला जनजाति की वर्तमान शैक्षणिक स्थिति :-

सम्पूर्ण भारत में 2001 की जनगणन के अनुसार साक्षरता का प्रतिशत 65 था जो कि बढ़कर 2011 की जनगणनानुसार भारत में साक्षरता 74.04 प्रतिशत हुई तथा म.प्र. में 2001 की जनगणनानुसार साक्षरता का प्रतिशत 63.7 था, जो कि 2011 में बढ़कर 70.63 प्रतिशत है। म.प्र. के इन्दौर संभाग का जनजातीय बाहुल्य जिले में से एक खरगोन (पश्चिम निमाड़) जिला है। खरगोन जिले में स्त्री-पुरुष साक्षरता का प्रतिशत 1991, 2001, 2011 की जनगणना सारणी द्वारा दर्शाया गया है-

तालिका 1.1

खरगोन जिले की कुल साक्षरता दर

वर्ष	व्यक्ति	पुरुष	महिलाएँ
1991	41.2	55.4	26.1
2001	63.0	74.7	50.6
2011	64.0	74.0	53.7

स्रोत :- भारत की जनगणना 1991, 2001, 2011. म.प्र.।

2001 की जनगणना के अनुसार खरगोन जिले में साक्षरता का प्रतिशत 63.0 रहा था, जो कि बढ़कर 2011 में साक्षरता का प्रतिशत 64.0 है। उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि खरगोन जिले में 2011 की जनगणना अनुसार कुल साक्षरता में 74.0 प्रतिशत पुरुष और 53.7 प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। अतः यहां महिला साक्षरता दर पुरुष साक्षरता दर से कम है। खरगोन जिला एक जनजातीय बाहुल्य जिला है तथा यहां शैक्षणिक विकास के उद्देश्य हेतु आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा कई योजनाओं को जा रहा है। साथ ही स्कूल खोलते व छात्रावास जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में बरेला जनजाति के आर्थिक एवं शैक्षणिक जीवन पर परिवर्तनों के प्रभाव का अध्ययन से सन्दर्भित जानकारी उत्तरदाताओं से प्रत्यक्ष साक्षात्कार के द्वारा एकत्रित की गयी है। अध्ययन क्षेत्र में बरेला जनजाति के उत्तरदाताओं का शैक्षणिक स्तर, वैवाहिक स्थिति, पवार का स्वरूप, बरेला जनजाति के उत्तरदाताओं की व्यावसायिक पृष्ठभूमि, परिवार की आय से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की गयी। प्राप्त जानकारी के विवरण से स्पष्ट होता है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों का इनके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन फिर भी यह जनजाति अपने आदिम रहन सहन को आत्मसात् किये हुए है। प्रस्तुत शोध में बरेला जनजाति की सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक पृष्ठभूमि का अध्ययन किया गया है जो कि निम्न प्रकार है।

शोध के उद्देश्य :- बरेला जनजाति में शैक्षणिक स्थिति में हुए परिवर्तन का अध्ययन करना।

शोध की उपकल्पना :- बरेला जनजाति के सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों पर शिक्षा एवं नई तकनीकी का सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

शोध कार्य में प्रयुक्त प्रविधि :-

अध्ययन का क्षेत्र :- मध्यप्रदेश में निमाड़ के रूप में पहचान रखने वाला खरगोन जिला मध्यप्रदेश गठन के साथ ही 1 नवम्बर 1956 को अस्तित्व में आ गया है। इसके उपरान्त भौतिक दृष्टिकोण एवं प्रशासनिक सुविधा के चलते 25 मई 1998 को यही खरगोन जिला नये स्वरूप में आ गया। पश्चिम निमाड़ जिला खरगोन अपने ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। आदिवासीयों के पारम्परिक हाट-बाजार युक्त मेला भगोरिया होली के कुछ समय पूर्व आकर्षण का केन्द्र बना रहता है। खरगोन जिले की जनसंख्या कुल 18,73,046 है। जिसमें ग्रामीण जनसंख्या 15,74,190 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्तमान में जिले के अन्तर्गत निम्न तहसील है जिनमें खरगोन, कसरावद, भगवानपुरा, बड़वाह, महेश्वर, भीकनगांव, झिरन्या, गोगांव, सेंगाव प्रमुख है। 2011 की जनगणना के अनुसार खरगोन जिले में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या 7,30,169 है। बरेला जनजाति भील जनजाति की ही एक उपजाति है। बरेला जनजाति भगवानपुरा विकासखण्ड में जनजातियों की

जनसंख्या 1,68,151 है जिनमें पुरुष जनसंख्या 84,262 है और महिला जनसंख्या 83,889 है। मध्यप्रदेश के जिला खरगोन में बारेला जनजाति में आर्थिक एवं शैक्षणिक परिवर्तन का अध्ययन हेतु शोध अध्ययन के लिए चयनित किया गया।

अध्ययन का समग्र :- प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए मध्यप्रदेश के खरगोन जिले में निवासरत समस्त बारेला जनजाति के परिवारों को प्रस्तुत अध्ययन के समग्र के रूप में सम्मिलित किया गया।

अध्ययन की इकाई :- प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए मध्यप्रदेश के खरगोन जिले में निवासरत बारेला जनजाति परिवार के मुखिया का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति द्वारा किया गया जिसको प्रस्तुत अध्ययन की इकाई के रूप में सम्मिलित किया गया।

निदर्शन विधि :- प्रस्तावित शोध अध्ययन में खरगोन जिले के भगवानपुरा विकासखण्ड के पाँच गांवों में ढाबला, रसगांगली, भुलवानिया, काबरी और गड़ी का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति द्वारा किया गया। चयनित गांव में प्रत्येक गांव से 60-60 परिवारों का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति द्वारा किया गया। इस प्रकार कुल न्यादर्श का आकार 300 परिवारों को अध्ययन के लिए चयनित किया गया।

तथ्यों का संकलन :- प्रस्तुत अध्ययन हेतु प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकड़ों का संग्रहण किया गया तथा उनका विश्लेषण करके निष्कर्ष प्राप्त किये गये।

प्राथमिक संमक :- प्राथमिक आंकड़ों का संग्रहण निर्मित साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से अध्ययन क्षेत्र में जाकर उत्तरदताओं से प्रत्यक्ष सम्पर्क कर साक्षात्कार कर, क्षेत्र का निरीक्षण एवं अवलोकन तथा समूह चर्चा के माध्यम से किया गया। साक्षात्कार अनुसूची में अध्ययन के उद्देश्यों के अनुरूप प्रश्नों का समावेश किया गया।

द्वितीयक संमक :- द्वितीयक तथ्यों का संकलन जनजातियों से सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन, शोध पत्र-पत्रिकाएँ, शासकीय प्रतिवेदन, जनगणना प्रतिवेदन, जिला सांख्यिकीय विभाग, पंचायत कार्यालय, कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, जिला गजेटियर, समाचार-पत्र, इंटरनेट एवं विभिन्न पुस्तकालयों जिनमें विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, ज्योतिबाफूले पुस्तकालय, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) इंदौर, केन्द्रीय पुस्तकालय, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर, मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान संस्थान, उज्जैन पुस्तकालय में प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन के आधार पर किया गया है।

तकनीक एवं उपकरण :- संमक एकत्रित करने हेतु अवलोकन पद्धति, समूह चर्चा, अनुसूची, साक्षात्कार पद्धति, अनौपचारिक वार्तालाप, एस. पी. एस. एस., सारणीयन एवं फोटोग्राफी का उपयोग किया गया है।

तथ्यों का विश्लेषण :- अध्ययन क्षेत्र खरगोन जिले के भगवानपुरा विकासखण्ड के 300 बारेला जनजाति परिवारों का साक्षात्कार अनुसूची द्वारा प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया गया। संग्रहित तथ्यों को अलग-अलग नम्बर (कोड) दिये गये, इन कोड के आधार पर कम्प्यूटर द्वारा एस. पी. एस. एस. (SPSS) पैकेज का प्रयोग करते हुये तथ्यों का सारणीयन एवं सांख्यिकी विश्लेषण किया गया है।

तालिका 1.2

उत्तरदाता परिवार के वर्तमान व्यवसाय का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	कृषि	53	17.7
2	पशुपालन	57	19.0
3	मजदूरी	30	10.0
4	व्यापार	32	10.7
5	वनोपज	30	10.0
6	नौकरी	22	7.3
7	कृषि मजदूरी	76	25.3
	कुल योग	300	100.0

उत्तरदाता परिवार के वर्तमान व्यवसाय के विवरण से यह ज्ञात होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 25.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं को व्यवसाय कृषि मजदूरी पाया गया जबकि सबसे कम 7.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा बताया गया कि उनके परिवार का वर्तमान व्यवसाय नौकरी है। 17.7 प्रतिशत उत्तरदाता वर्तमान में कृषि को अपने व्यवसाय के रूप में अपनाए हुए हैं जबकि 19 प्रतिशत उत्तरदाताओं का पेशेवर व्यवसाय पशुपालन है। मजदूरी करने वाले कुल उत्तरदाता 10 प्रतिशत पाए गए वहीं 10.7 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे पाए गए जो कि व्यापार करते हैं। वनोपज करने वाले उत्तरदाता 10 प्रतिशत पाए गए।

तालिका 1.3

वर्तमान व्यवसाय से संतुष्टि का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	181	60.3
2	नहीं	119	39.7
	कुल योग	300	100.0

वर्तमान व्यवसाय से संतुष्टि के विवरण से यह स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 60.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि वे अपने वर्तमान व्यवसाय से संतुष्ट हैं जबकि 39.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि वे वर्तमान व्यवसाय से संतुष्ट नहीं हैं।

तालिका 1.4

उत्तरदाताओं के पास कृषि भूमि का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	1 एकड़ से 5 एकड़	74	24.7
2	6 एकड़ से 11 एकड़	108	36.0
3	12 एकड़ से 17 एकड़	37	12.3
4	18 एकड़ से अधिक	30	10.0
5	भूमिहीन	51	17.0
	कुल योग	300	100.0

उपर्युक्त तालिका में उत्तरदाता परिवार के पास उपलब्ध कृषि भूमि का विवरण दिया गया है जिसके विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 24.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास 1 एकड़ से 5 एकड़ तक कृषि भूमि पाई गई जबकि 36 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके पास 6 एकड़ से 11 एकड़ तक कृषि भूमि उपलब्ध है। 12.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके पास 12 एकड़ से 17 एकड़ तक कृषि भूमि उपलब्ध है वहीं 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास 18 एकड़ से अधिक कृषि भूमि पाई गई। भूमिहीन उत्तरदाताओं का प्रतिशत 17 पाया गया।

तालिका 1.5

बारेला जनजाति की खेती की पद्धति का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	पुरानी पद्धति	92	30.7
2	वैज्ञानिक पद्धति	139	46.3
3	दोनों पद्धति	69	23.0
	कुल योग	300	100.0

बारेला जनजाति द्वारा अपनाई जाने वाली कृषि पद्धति का विवरण उपर्युक्त तालिका में दिया गया है जिसके विवरण से यह स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 30.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा बताया गया कि बारेला जनजाति के द्वारा पुरानी पद्धति के द्वारा कृषि की जाती है जबकि 46.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा कृषि की जाती है। 23 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके द्वारा दोनों ही पद्धतियों से कृषि की जाती है।

तालिका 1.6

उत्तरदाताओं द्वारा रोजगार के लिए पालायन करने का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	153	51.0
2	नहीं	147	49.0
	कुल योग	300	100.0

बारेला जनजाति के उत्तरदाताओं को रोजगार के लिए पलायन करने के विवरण से यह ज्ञात होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 51 प्रतिशत उत्तरदाता अपने रोजगार के लिए पलायन करते हैं जबकि 49 प्रतिशत उत्तरदाता अपने घर पर और गांव में रह कर ही रोजगार के साधन जुटाते हैं वे पलायन नहीं करते हैं।

तालिका 1.7

उत्तरदाताओं द्वारा रोजगार के लिए पलायन करने के स्थान का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	गुजरात में	47	30.71
2	महाराष्ट्र में	16	10.45
3	पास के शहर में	37	24.19
4	पास गांव में	30	19.61
5	जहाँ रोजगार मिले वहाँ	23	15.04
	कुल योग	153	100.0

उत्तरदाताओं द्वारा रोजगार के लिए पलायन करने के स्थान का विवरण उपर्युक्त तालिका में दिया गया। तालिका में दिये गये आंकड़ों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 30.71 प्रतिशत उत्तरदाता रोजगार के लिए गुजरात राज्य में पलायन करते हैं जबकि 10.45 प्रतिशत उत्तरदाता महाराष्ट्र राज्य में रोजगार के लिए पलायन करते हैं। 24.19 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि वे पास के शहर में रोजगार के लिए पलायन करते हैं वहीं 19.61 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि वे पास के गांवों में रोजगार के लिए पलायन करते हैं। 15.04 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनको जहाँ रोजगार उपलब्ध हो जाता है वहीं पलायन करते हैं।

तालिका 1.8

उत्तरदाताओं द्वारा अपनी आय से बचत करने का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	133	44.3
2	नहीं	167	55.7
	कुल योग	300	100.0

उत्तरदाताओं द्वारा अपनी आय से बचत करने के आंकड़ों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 44.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि वे अपनी आय से बचत करते हैं जबकि 55.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि वे अपनी आय से बचत नहीं करते हैं।

तालिका 1.9

यदि बचत नहीं करते तो कारणों का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	आय कम	41	24.55
2	घर के खर्चे अधिक	47	28.14
3	बच्चों की पढ़ाई पर खर्च	79	47.31
	कुल योग	167	100.0

कुल उत्तरदाताओं में से 167 उत्तरदाताओं ने बताया कि वे बचत नहीं करते यदि वे बचत नहीं कर पाते हैं तो बचत ना करने के कारणों से यह ज्ञात होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 24.55 प्रतिशत उत्तरदाता उनकी आय कम होने के कारण बचत नहीं कर पाते हैं जबकि 28.14 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके घर के खर्चे आय से अधिक होने के कारण बचत नहीं कर पाते हैं। 47.31 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके बच्चों की पढ़ाई पर अधिक खर्च होने के कारण वे बचत नहीं कर पाते हैं।

तालिका 1.10

उत्तरदाताओं द्वारा अपनी आवश्यकता पूर्ति हेतु कर्ज लेने का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	240	80.0
2	नहीं	60	20.0
	कुल योग	300	100.0

उपर्युक्त तालिका में उत्तरदाताओं द्वारा अपनी आवश्यकता पूर्ति हेतु कर्ज लेने का विवरण दिया गया है जिसके विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 80 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि वे अपनी आवश्यकता पूर्ति हेतु कर्ज लेते हैं जबकि 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि वे अपनी आवश्यकता पूर्ति हेतु कर्ज नहीं लेते हैं।

तालिका 1.11

उत्तरदाताओं द्वारा कर्ज लेने के उद्देश्य का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	कृषि कार्य	44	18.34
2	अन्य व्यवसाय	49	20.41
3	बच्चों की पढ़ाई	57	23.75
4	बच्चों के विवाह	52	21.67
5	मकान बनाने के लिए	17	7.08
6	उरोक्त सभी	21	8.75
	कुल योग	240	100.0

उपर्युक्त तालिक में बारेल्ला जनजाति के उत्तरदाताओं द्वारा कर्ज लेने के उद्देश्य एवं कारणों को विवरण दिया गया है। तालिका में दिये गये आंकड़ों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 23.75 प्रतिशत उत्तरदाताओं के द्वारा बच्चों की पढ़ाई लिए कर्ज लिया जाता है जबकि सबसे कम 7.08 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मकान बनाने के लिए कर्ज लिया। 18.34 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्होंने कृषि कार्य के लिए कर्ज लिया वहीं 20.41 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अन्य व्यवसाय को संचालित करने के लिए कर्ज लिया। 21.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं के द्वारा बताया कि उनके द्वारा बच्चों की शादी करने लिए कर्जा लिया गया वहीं 8.75 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने उपरोक्त सभी कार्यों के लिए कर्ज लिया।

तालिका 1.12

उत्तरदाताओं द्वारा कर्ज लेने के स्रोतों का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	साहूकार	40	16.7
2	सहकारी संस्था	126	52.5
3	बैंक	42	17.5
4	दोस्त/रिश्तेदार	32	14.3
	कुल योग	240	100.0

उत्तरदाताओं द्वारा कर्ज लेने के स्रोतों के विवरण से यह स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 52.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके द्वारा सहकारी संस्था से कर्ज लिया गया जबकि सबसे कम 14.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने दोस्तों और रिश्तेदार से कर्ज प्राप्त किया। 16.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने साहूकार से कर्ज प्राप्त किया वहीं 17.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बैंक से कर्ज प्राप्त किया।

तालिका 1.13

उत्तरदाताओं के द्वारा प्राप्त कर्ज की राशि का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	10,000 या इससे कम	54	22.51
2	10,000 से 20,000	133	55.42
3	20,000 से 30,000	28	11.66
4	30,000 से 40,000	25	10.41
	कुल योग	240	100.0

उपर्युक्त तालिका में उत्तरदाताओं द्वारा कुल कर्जा लेने के विवरण प्राप्त किया गया है जिसके विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 55.42 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्होंने 10,000 से 20,000 तक की कर्ज की राशि प्राप्त की जबकि सबसे कम 10.41 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्होंने 30,000 से 40,000 तक कर्ज

की राशि प्राप्त की गई। 22.51 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 10,000 या इससे कम की कर्ज की राशि प्राप्त की वहीं 11.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 20,000 से 30,000 तक की राशि कर्ज के रूप में प्राप्त की।

तालिका 1.14

उत्तरदाताओं द्वारा ऋण का भुगतान करने के श्रोतों का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	नकद	84	35.0
2	फसल से	108	45.0
3	किश्तों में	37	15.42
4	मजदूरी कर	11	4.58
	कुल योग	240	100.0

उत्तरदाताओं द्वारा ऋण का भुगतान करने के श्रोतों के विवरण से यह ज्ञात होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 45 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने फसल उत्पादन से प्राप्त राशि से ऋण का भुगतान किया गया जबकि सबसे कम 4.58 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मजदूरी कर ऋण का भुगतान किया गया। 35 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने नकद राशि के द्वारा ऋण का भुगतान किया गया वहीं 15.42 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि वे प्राप्त ऋण का भुगतान किश्तों में किया।

तालिका 1.15

कृषि हेतु आधुनिक उपकरणों के प्रयोग का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	ट्रैक्टर	60	20.0
2	मशीन	108	36.0
3	श्रेशर	41	13.7
4	ट्यूबवैल	31	10.3
5	उपर्युक्त सभी	41	13.7
6	कोई नहीं	19	6.3
	कुल योग	300	100.0

कृषि हेतु आधुनिक उपकरणों के प्रयोग के विवरण से यह ज्ञात होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 36 प्रतिशत उत्तरदाता कृषि हेतु आधुनिक उपकरण के रूप में मशीन का प्रयोग करते हैं जबकि सबसे कम 6.3 प्रतिशत उत्तरदाता कोई आधुनिक उपकरण का प्रयोग नहीं करते हैं। 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके द्वारा कृषि हेतु आधुनिक उपकरण के रूप में ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है वहीं 13.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके द्वारा कृषि हेतु आधुनिक उपकरण के रूप में श्रेशर का प्रयोग किया जाता है। 10.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके द्वारा कृषि कार्य हेतु आधुनिक उपकरण के रूप में ट्यूबवैल का प्रयोग किया जाता है जबकि 13.7 प्रतिशत उत्तरदाता उपर्युक्त सभी आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करते कृषि कार्य हेतु करते हैं।

तालिका 1.16

फसल की बुआई/कटाई के समय पूजा-पाठ करने का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	184	61.3
2	नहीं	116	38.7
	कुल योग	300	100.0

फसल की बुआई/कटाई के समय पूजा-पाठ करने का विवरण से यह ज्ञात होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 61.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि बारैला जनजाति के द्वारा फसल की बुआई/कटाई के समय पूजा-पाठ की जाती है जबकि 38.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि फसल की बुआई/कटाई के समय पूजा-पाठ जैसी कोई गतिविधि नहीं की जाती है।

तालिका 1.17

उत्तरदाताओं के द्वारा बच्चों को स्कूल भेजने का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	190	63.3
2	नहीं	110	36.7
	कुल योग	300	100.0

उत्तरदाताओं के द्वारा बच्चों को स्कूल भेजने के विवरण से यह स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 63.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने जानकारी दी कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं जबकि 36.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं।

तालिका 1.18

नहीं तो कारण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	कमजोर आर्थिक स्थिति	40	36.37
2	गांव में नियमित स्कूल नहीं लगता	42	38.18
3	रोजगार के लिए अन्यत्र जाते हैं	28	25.45
	कुल योग	110	100.0

स्कूल नहीं भेजने वाले कुल 110 उत्तरदाताओं से बच्चों को स्कूल नहीं भेजने के कारणों का जानकारी प्राप्त की गई जिसके विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 36.37 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनकी कमजोर आर्थिक स्थिति होने के कारण वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं जबकि 38.18 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके गांव में नियमित स्कूल नहीं लगता इसलिए वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। 25.45 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि वे रोजगार के लिए अन्यत्र जाते हैं इसलिए उनके बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है।

तालिका 1.19

बारेला जनजाति के बच्चों की पढ़ाई के माध्यम का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हिन्दी	59	31.05
2	अंग्रेजी	58	30.52
3	दोनों	73	38.43
	कुल योग	190	100.0

बारेला जनजाति के बच्चों की पढ़ाई के माध्यम का विवरण उपर्युक्त तालिका में दिया गया है जिसके विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 31.05 प्रतिशत उत्तरदाता अपने बच्चों को हिन्दी माध्यम से पढ़ाई करवाते हैं वहीं 30.52 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि वे अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करवाते हैं। 38.43 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि वे अपने बच्चों को दोनों ही माध्यमों से पढ़ाई करवाते हैं।

तालिका 1.20

बारेला जनजाति के गांव में स्कूल उपलब्ध होने का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	प्राथमिक	61	20.3
2	मध्यमिक	110	36.7
3	हाईस्कूल	29	9.7
4	हायर सेकेण्डरी	30	10.0
5	स्कूल नहीं	70	23.3
	कुल योग	300	100.0

उपर्युक्त तालिका में बारेला जनजाति के गांव में स्कूल उपलब्ध होने का विवरण दिया गया है जिसके विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 20.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके गांव में प्राथमिक स्तर तक स्कूल पाया जाता है जबकि 36.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके गांव में माध्यमिक स्तर का स्कूल पाया जाता है। 9.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके गांव में हाईस्कूल तक का स्कूल पाया जाता है वहीं 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने जानकारी दी कि उनके गांव में हायर सेकेण्डरी तक का स्कूल पाया जाता है। 23.3 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे पाए गए जिन्होंने बताया कि उनके गांव में स्कूल नहीं पाया जाता है।

तालिका 1.21

किस कक्षा तक पढ़ना पसंद करते हैं

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	प्राथमिक	86	28.7
2	मध्यमिक	77	25.7
3	हाईस्कूल	26	8.7
4	हायर सेकेण्डरी	43	14.3
5	स्नातक	36	12.0
6	परास्नातक	32	10.7
	कुल योग	300	100.0

उपर्युक्त तालिका में बारेला जनजाति के उत्तरदाताओं के द्वारा अपने बच्चों को किस कक्षा तक पढ़ाना पसंद करते हैं की जानकारी दी गई है जिसके विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 28.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि वे अपने बच्चों को प्राथमिक स्तर तक पढ़ाना पसंद करते हैं जबकि 25.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि वे अपने बच्चों को माध्यमिक स्तर तक पढ़ाना पसंद करते हैं। 8.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि वे अपने बच्चों को हाईस्कूल स्तर तक पढ़ाना पसंद करते हैं वहीं 14.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि वे अपने बच्चों को हायर सेकेण्डरी तक पढ़ाना पसंद करते हैं। 12 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि वे अपने बच्चों को स्नातक स्तर तक पढ़ाना पसंद करते हैं जबकि 10.7 प्रतिशत उत्तरदाता अपने बच्चों को परास्नातक स्तर तक पढ़ाना पसंद करते हैं।

तालिका 1.22

बारेला जनजाति के बच्चों को शिक्षा दिलाने के प्रकार का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	परम्परागत	92	30.7
2	व्यावसायिक	96	32.0
3	तकनीकी	52	17.3
4	सामान्य	60	20.0
	कुल योग	300	100.0

बारेला जनजाति के बच्चों को शिक्षा दिलाने के प्रकार का विवरण उपर्युक्त तालिका में दिया गया है जिसके विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 30.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपने बच्चों को परम्परागत शिक्षा दिलाने की बात कही जबकि 32 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि वे अपने बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा दिलाना चाहते हैं। 17.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि वे अपने बच्चों को तकनीकी शिक्षा दिलाना चाहते हैं वहीं 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि वे अपने बच्चों को सामान्य शिक्षा दिलाना चाहते हैं।

तालिका 1.23

बच्चों के शैक्षणिक विकास हेतु चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेने का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	252	84.0
2	नहीं	48	16.0
	कुल योग	300	100.0

बच्चों के शैक्षणिक विकास हेतु चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेने का विवरण उपर्युक्त तालिका में दिया गया जिसके विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 84 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्होंने बच्चों के शैक्षणिक विकास हेतु चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लिया है जबकि 16 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्होंने बच्चों के शैक्षणिक विकास हेतु चलाई जा रही योजनाओं का लाभ नहीं लिया है।

निष्कर्ष :- अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण अल्पसाक्षरता है। शिक्षा के अभाव में व्यक्ति अपने अधिकारों, कर्तव्यों से अनभिज्ञ होकर एक अच्छा नागरिक नहीं बन पाता, साथ ही वह विकास की प्रक्रिया में भागीदार नहीं हो पाता। अतः शिक्षा की महत्ता को विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल किया गया है। योजना काल में वर्तमान मध्य प्रदेश के चारों घटक राज्यों में अनेक शैक्षणिक विकास की योजनाएँ संचालित की गईं, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया। कुल मिलाकर जनजातियों के कल्याण हेतु माध्यमिक स्कूल, प्राथमिक स्कूल व छात्रावास स्थापित किये गये। साथ ही निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति, पुस्तकें, निःशुल्क गणवेश आदि सुविधाएँ प्रदान की गईं। शिक्षा में प्रगति व विकास हेतु आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है तथा कई स्कूल व छात्रावास भी खोले गये हैं, जिससे जनजातियों की साक्षरता दर में वृद्धि हो सके।

सन्दर्भ

1. राठौड़, अजय सिंह (1994) "भील जनजाति (शिक्षा और आधुनिकीकरण)", पंचशील प्रकाशन, जयपुर।
2. जैन, श्रीचन्द्र (1973), "वनवासी भील और उनकी संस्कृति", रोशनलाल जैन एण्ड संस, जयपुर।
3. मण्डलोई, दिलिपसिंह (2014), "औद्योगिकीकरण का आदिवासीयों के सामाजिक आर्थिक जीवन पर प्रभाव", दिव्य शोध समीक्षा An international refereed journal Vol-1, Issue-2, PP- 131-135A
4. तवर, गुलनाज (2007), "बारेला जनजाति जीवन और संस्कृति", आदिवासी लोककला एवं तुलसी साहित्य अकादमी, म. प्र. संस्कृति परिषद्, भोपाल।
5. शर्मा के. एल. (2010), "भारतीय सामाजिक संरचना एवं परिवर्तन", रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर।
6. निकुंज एम. एल. वर्मा (1992), "भीलो की सामाजिक व्यवस्था", क्लासिकल पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली।
7. गुप्ता एम. एल. एवं शर्मा डी. डी. (2005), "भारतीय सामाजिक समस्याएं", साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा।
8. नायडू पी. आर. (1997), "भारत के आदिवासी", राधा पब्लिकेशन्स नई दिल्ली।
9. तिवारी, राकेश कुमार (1990), "आदिवासी भारत में आर्थिक परिवर्तन", नार्दन बुक सेन्टर, नई दिल्ली।
10. गुप्ता, रमणिका (2008), "आदिवासी : विकास से विस्थापन", राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली।
11. आर्य, आर. आर. (2014), "आदिवासी बारेला उपजाति की अनोखी परम्पराएं", दिव्य शोध समीक्षा An international refereed journal Vol-1, Issue-2, PP- 211-212.
12. Lakshmi, V. V. and Paul, M. M. (2019), "Socio-Economic Conditions of Tribal Communities in Telangana and Andhra Pradesh: A Review", Acta Scientific Agriculture, Volume 3 Issue 8.